सामान्य निर्देश

उत्तर प्रदेश की कारागारों में विभिन्न पदों पर तैनात कार्मिकों के अन्तर्जनपदीय वार्षिक स्थानान्तरण वर्ष 2012 के लिये संलग्न प्रारूप में सूचना अंकित करने हेतु सामान्य निर्देश

1— शासनादेश संख्या—2438/22—1—2008—2/2008, दिनांक 18.7.2008 द्वारा कारागारों में तैनात कार्मिकों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में निम्नानुसार व्यवस्था निर्धारित की गयी, जो वर्तमान में प्रचलित है।

क0	पदनाम	एक कारागार में तैनाती की अवधि	एक स्थान में समस्त कारागारों में कुल तैनाती की अवधि
1—	अधीक्षक कारागार	03 वर्ष	04 वर्ष
2—	कारापाल/उप कारापाल	04 वर्ष	06 वर्ष
3—	प्रधान बंदीरक्षक/बंदीरक्षक	06 वर्ष	08 वर्ष
4—	पैरामेडिकल स्टाफ/फार्मासिस्ट	06 वर्ष	08 वर्ष
5—	कार्यालय कर्मी(आशुलिपिक, मिनिस्टिरियल स्टाफ व वाणिज्यक स्टाफ)	08 वर्ष	12 वर्ष

2— वर्तमान तैनाती की कारागार से स्थानान्तरण के इच्छुक बंदीरक्षक सम्वर्ग में प्रधान बंदीरक्षक एवं बंदीरक्षक (अन्तःकारा/रिजर्व/महिला तीनों सम्वर्ग) के कर्मियों से विकल्प संलग्न प्रारूप पर आंमत्रित किये जाते है, ताकि उनकी इच्छानुसार प्रस्तावित कारागार में स्थानान्तरण हो सके। आगामी वर्ष से सभी सम्वर्ग के कर्मियों के लिये यह प्रारूप लागू होगा।

3— संलग्नक प्रारूप में बिन्दु संख्या—1 से 14 तक की सूचना संलग्न सैम्पल को देखकर आवेदकों द्वारा स्वंय भरी जायेगी। सूचना भरने के बाद इस पर संबंधित आवेदक द्वारा निर्धारित स्थान पर दिनांक सहित हस्ताक्षर किये जायेगें, तत्पश्चात आवेदक द्वारा इसे अपनी कारागार के अधिष्ठान लिपिक को उपलब्ध कराया जायेगा। यदि मण्डलीय कारागार नहीं है, तो कारागार के लिपिक द्वारा ऐसे सभी प्रार्थना—पत्र प्राप्त कर मण्डलीय कारागार के सम्बन्धित अधिष्ठान लिपिक को प्राप्त करा दिये जायेगे।

4– मण्डलीय कारागार के अधिष्ठान लिपिक द्वारा प्राप्त सभी आवेदन पत्रों में अंकित प्राविष्टियों का परीक्षण कर निर्धारित स्थान पर दिनांक सहित हस्ताक्षर कर पुष्टित किया जायेगा तथा इन्हें साफटवेयर में इन्ट्री करने हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।

5– आवेदक द्वारा, बिन्दु संख्या–9 में प्रथम विकल्प के रूप में प्रस्तावित पहली कारागार, बिन्दु संख्या–10 में प्रस्तावित द्वितीय कारागार, बिन्दु संख्या–11 में प्रस्तावित तृतीय कारागार, बिन्दु संख्या–12 में प्रस्तावित चतुर्थ कारागार, बिन्दु संख्या–13 में प्रस्तावित पंचम कारागार तथा बिन्दु संख्या–14 में प्रस्तावित छठी कारागार के रूप में विकल्प अंकित किया जायेगा।

6– बिन्दु संख्या–15, 16, 17, 18, 19 व 20 आवेदक द्वारा नही भरे जायेगें। यह बिन्दु केवल मण्डल कारागार के अधिष्ठान लिपिक द्वारा भरे जायेगें।

7– विभागीय स्थानान्तरण नीति के अनुसार सम्प्रति बंदीरक्षक संवर्ग के कार्मियों के लिये एक कारागार में तैनाती की अवधि 06 वर्ष तथा एक स्थान अर्थात् एक जनपद की समस्त कारागारों में कुल तैनाती की अवधि 08 वर्ष की अवधि निर्धारित है। अतः इस व्यवस्था को संज्ञान में लेते हुए बदीरक्षक संवर्ग के आवेदक विकल्प प्रस्तुत करेगें।

8– उक्त विकल्पों को मण्डल कारागार के अधिष्ठान लिपिक द्वारा निर्धारित विकल्प फार्म में अंकित 6 विकल्पों के सामने कॉलम संख्या 2 में आवेदक द्वारा प्रस्तावित कारागारों में बितायी गयी सेवा की अवधि अंकित की जायेगी।

9– उक्त निर्देश तथा विकल्प का प्रारूप तथा इसे भरने हेतु सैम्पल (काल्पनिक रूप से भरा गया फार्म) कारागार विभाग की वेबसाइट **http://upprisons.up.nic.in** के होम पेज में डाउनलोड किये जाने हेतु उपलब्ध है।

10– उक्त प्रारूप डाउनलोड कर इच्छुक आवेदक सुस्पष्ट रूप से भर कर मण्डलीय कारागार में शीघ्र पहुँचाया जाना अपेक्षित है तथा मण्डलीय कारागार स्तर पर इन सभी विकल्प फार्मो का पुष्टीकरण कर साफट्वेयर में तत्काल फीड किया जाना अपेक्षित है।

.......0.......